



अभिलेख उपस्थापित।

22

सुधा देवी पति स्व० अजीत राम उर्फ छक्कन राम, निवास स्थान ग्राम-कंचनपुर, पोस्ट-लुपुंग, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-जैलमा, थाना नं०-66, खाता संख्या-54, प्लॉट संख्या-310,, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सुनिता कुमारी पिता कैलाश रविदास पति उमेश राम, निवास स्थान ग्राम-जैलमा, पोस्ट-लुपुंग, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON22021890 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-420/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 2219/रा० दिनांक 16.06.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमसांडी को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के पत्रांक 667 दिनांक 23.09.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदक को आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। आवेदिका के परदादा ससुर पुनता भुइया के नाम से खतियान दर्ज है। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 2.79 एकड़ है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 1.6989 एकड़ भूमि है। लगान रसीद 2020-21 तक निर्गत है। आवेदिका जमाबंदी रैयत के पौत्र वधु एवं खतियानी रैयत के परपौत्र वधु हैं। आवेदिका द्वारा धारित कुल रकवा 0.69 एकड़ भूमि है। शपथ-पत्र संख्या-2570 दिनांक 23.08.2022 के अनुसार आवेदिका के पास अन्य खातों में लगभग 1.00 एकड़ भूमि शेष बचती है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-93/1 पर विक्रेता के दादा ससुर बोधन भुइया के नाम से जमाबंदी कायम है। आवेदिका को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी त
1	2	
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमसांडी द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमसांडी के अनुशंसा के आलोक में सुधा देवी पति स्व0 अजीत राम उर्फ छक्कन राम, निवास स्थान ग्राम-कंचनपुर, पोस्ट-लुपुंग, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमसांडी, मौजा-जैलमा, थाना नं0-66, खाता संख्या-54, प्लॉट संख्या-310,, रकवा 0.04 एकड़ (04 डिसमिल) (चार डिसमिल) भूमि सुनिता कुमारी पिता कैलाश रविदास पति उमेश राम, निवास स्थान ग्राम-जैलमा, पोस्ट-लुपुंग, थाना-कटकमसांडी, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	